

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 178 / 2023

- |               |   |                                 |
|---------------|---|---------------------------------|
| 1. राज सिंह   | } | पि० बलवीर सिंह जाति समस्त जटसिख |
| 2. भोलासिंह   |   | निवासीगण शेरगढ तहसील संगरिया    |
| 3. इकबाल सिंह |   | जिला हनुमानगढ (राज.)            |

-वादीगण

बनाम

- |                                    |   |                           |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. मक्खनसिंह पुत्र अनूपसिंह        | } | जाति समस्त जटसिख निवासीगण |
| 2. जगतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह    |   | शेरगढ तहसील संगरिया जिला  |
| 3. जगेन्द्र सिंह पुत्र गुरतेज सिंह |   | हनुमानगढ (राज.)           |
| 4. महेन्द्र सिंह पुत्र गुरतेज सिंह |   |                           |
| 5. मेल कौर पत्नी जरनैल सिंह        |   |                           |

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 6. गुरदेवसिंह   | } | पुत्र/पुत्री हीरादेवी पत्नी सोहन सिंह जाति समस्त अराई |
| 7. गुरबक्श सिंह |   | निवासीगण मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ           |
| 8. रतन सिंह     |   | (राज.)  |
| 9. अवतार सिंह   |   |   |
| 10. गुरबचन कौर  |   |   |

11. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा नगराना

12. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए. 136 एल.आर.एक्ट

दिनांक :- 6.5.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक वादीगण व श्री कैलाश सिंवल प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी समस्त सह काशतकारों का खाता विभाजन प्रस्ताव समस्त जमाबन्दीयां तहसील संगरिया के चक नं. 15 एम.के.एस. के खाता सं. 144/100 व इसी चक नं. 15 एम.के.एस. के खाता सं. 94/69 की जमाबन्दी सम्वत 2071-74 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) के समस्त सह-काशतकारों के हक-हिस्सा अनुसार राजस्थान काशतकारी (सरकारी) एवं माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदा, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सह काशतकारों विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा गिरदावर व स्वयं के हस्ताक्षरित कर अपनी अनुशंषा सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को पत्र जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर दिनांक 5.6.2023 तक पेश करे। यह प्राथमिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 6.5.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

( जय कौशिक )

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया

डिक्री व मुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 43/2024

1. अजायब सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. नायब सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादीगण

बनाम

1. गुरनाम सिंह पुत्र गंगुसिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रानी पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी तरसेम लाल निवासी वार्ड नं. 08 मूनक तहसील मूनक जिला संगरूर (पंजाब)
3. हरिन्द्र कौर पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी गुरमीत सिंह निवासी वार्ड नं. 08 मूनक तहसील मूनक जिला संगरूर (पंजाब)
- परमजीत कौर पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी नरेश कुमार निवासी वार्ड नं. 08 मूनक तहसील मूनक जिला संगरूर (पंजाब)

-प्रतिवादीगण


वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 6.5.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग अभिभाषक वादीगण व श्री परविन्दर सिंह अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज चक नं. 18 एम.के. एस. के खाता सं. 12/9 खाता से ओमप्रकाश आदि जमाबन्दी संवत 2071-74 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थाई में 3922/9107 हिस्सा कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की रिथिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.5.2025 को जारी किया गया।

  
( जय कौशिक )  
मुख्य कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया